

क्र.	योजना का नाम	पात्रता की शर्तें	लाभ
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	(क) 06 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना। (ख) 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। (अर्थात् 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।) (ग) 18 से 39 वर्ष आयु की बी.पी.एल.विधवा महिला (घ) 18 से 59 वर्ष आयु की बी.पी.एल. परिव्रजिता महिला (ङ) 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध (च) 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों को पेंशन।	300/-
2	इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु बी.पी.एल.वृद्ध आयु 80 वर्ष से अधिक आयु बी.पी.एल.वृद्ध	300/-
3	इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष बी.पी.एल.विधवा महिला आयु 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत, बी.पी.एल. हो	500/- 300/-
4	इंदिरागांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु, 80 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता, बी.पी.एल.निःशक्त व्यक्ति आयु 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत, बी.पी.एल.वृद्ध	500/- 300/-
5	कन्या अभिभावक पेंशन	(क) आयकर दाता नहीं होना चाहिए। (ख) आवेदक दंपति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। (ग) दंपति की केवल पुत्री संतान होना चाहिए।	500/- 500/-

उप सचिव (सा. सहा.)
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण म. प्र.


विद्यमान खाशा अंतराधिकृत पत्र क्रमांक 3389

जिला- श्योपुर

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 17-18 माह फरवरी 18 के अनुसार -

क्र	योजना का नाम	हितग्राही संख्या	राशि
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	10964	3514400
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	8525	2557500
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	735	220500
4	कन्या अभिभावक पेंशन	265	132500
5	दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि	139	41700
6	मंदबुद्धि/बहुविकलांग को आर्थिक सहायता	322 /	161000
7	सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन	1955	586500
8	सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन	3104	931200
9	सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन	1094	328200
	योग	27102	8473500


उप संचालक (सा. सहा.)
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण म. प्र.